अनुसूची 14 फारम सं0 563

...देश की क्रम ...र और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल

आपूर्ति अपील वाद सं0 – 015/डी0एम0/2017

श्री रूपनारायण सिंह बनाम बिहार सरकार

आदेश

07-04-2018

यह आपूर्ति अपील वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल न्यायालय वाद संख्या 38/2017, में दिनांक 09.09.2017 को **श्री रूपनारायण सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत बारा, प्रखण्ड–कुर्था के जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0 30/85** को सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में निहित अनुज्ञप्ति शर्त की **कंडिका 14 (i) एवं 25 (i) (ख), एवं (ड.)** का उल्लंघन के आलोक में जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द करने के फलस्वरूप अपीलार्थी अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आपूर्ति अपील वाद न्यायायल में प्रस्तुत किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी :–

दिनांक 11.07.2017 को **श्री सुधीर कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल** के द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता **श्री रूपनारायण सिंह** के जनवितरण दुकान का निरीक्षण किया गया। जॉच पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में कतिपय त्रुटियों का उल्लेख करते हुए जॉच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल को समर्पित किया गया। तत्पश्चात अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर श्री रूपनारायण सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

1. उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा से कम देना।
2. उपभोक्ताओं से खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक लेना।
3. उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण दो या तीन माह पर करना।
4. उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करना।

श्री रूप नारायण सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कण्डिकावार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उक्त आरोपों को निराधार एवं असत्य बताते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

तदआलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए दिनांक 09.09.2017 को श्री रूपनारायण सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या 30/85 को रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता (जी0पी0) को सुनकर अभिलेख को आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल के द्वारा अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर बिना विचारण किये हुए दिनांक 09.09.2017 को जनवितरण अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी लगभग 33 वर्षों से जनवितरण प्रणाली विक्रेता का कार्य करते आ रहें हैं तथा आज तक किसी भी लाभुक द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया गया है। जॉच पदाधिकारी (जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल) द्वारा दुकान बन्द पाये जाने पर 15 लोगों का ब्यान लेने के

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल के समक्ष जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा अपने उपर लगाये आरोपों के सबंध में कण्डिकावार स्पष्टीकरण के साथ उपभोक्ताओं का शपथ–पत्र भी निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। उस पर भी निम्न न्यायालय द्वारा विधिक विचारण नहीं किया गया। जॉच पदाधिकारी द्वारा 15 उपभेक्ताओं के ब्यान के आधार पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त जॉच प्रतिवेदन में सियामनी देवी का कोई भी कार्ड निर्गत नहीं है तथा रामलखन दास को पिला कार्ड निर्गत था जो वर्तमान में रद्द हो चुका है शेष 13 आरोपकर्त्ताओं द्वारा स्वेच्छा से शपथ–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी के विरूद्ध गठित आरोपों का खण्डन किया गया है।

उनका यह भी कहना है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 28 में स्पष्ट वर्णन है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देना है। परन्तु अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा बिना स्पष्टीकरण पर विचारण एवं उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये शपथ–पत्र का अवलोकन किये बिना ही जनवितरण अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश 2016 (2) वी0एल0जे0 के पेज संख्या 318 की छायाप्रति समर्पित करते हुए** बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जिन आरोपों के समर्थन में सामग्री एवं साक्ष्य तथा अपीलार्थी को बिना सुने जन वितरण अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है जो आदेश विधि के अनुरूप नहीं है तथा तत्काल प्रभाव से आदेश को विखण्डित किया जाना आवश्यक है। इसलिए अपीलार्थी के अपील पत्र को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 30/1985 को पुनः बहाल करने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता (जी0पी0) का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 11.07.2017 को श्री रूप नारायण सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या 30/1985 ग्राम पंचायत बारा, प्रखण्ड : कुर्था, जिला–अरवल के दुकान का जॉच किया गया। जॉच के क्रम में जनवितरण प्रणाली दुकान बंद पाया गया। सूचना पट्ट पर एक पर्चा चिपकाया हुआ था। जिसपर अचानक तबीयत खराब होने के कारण इलाज हेतु बाहर जाने की सूचना लिखा हुआ था। सूचना पट्ट पूराना एवं कोई भी सूचना/किरासन तेल का मूल्य/खाद्यान्न का मूल्य आदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जॉच पदाधिकारी द्वारा 15 लाभूकों से पूछ–ताछ एवं लिखित ब्यान से स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रत्येक माह नहीं किया जाता है तथा चावल 03 रू0 प्रतिकिलोग्राम की जगह 04 रू0 प्रति किलोग्राम उसी प्रकार गेहूँ 02 रू0 प्रति किलोग्राम की जगह 03 रू0 प्रतिकिलोग्राम लिया जाता है, उसी प्रकार जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुकों को प्राप्ति रसीद नहीं दिया जाता है, फर्जीवाड़ा कर कूपन एवं राशन कार्ड पर गलत तरीके से खाद्यान्न का मात्रा भर दिया जाता है। जिससे स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रता द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अनियमितता की गई है। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल के पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

उपर्युक्त तथ्यों, तर्कों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अनुशीलन किया। अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल अपने पारित आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साक्ष्य के साथ समीक्षा करने में विफल रहें हैं। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 434/2014 (कुंजी लाल साहनी बनाम बिहार सरकार) के मामले में पारित न्यायादेश में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अस्पष्ट आरोप के आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2017 तर्क संगत एवं साक्ष्य समर्थित नहीं होने के कारण पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल को अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

16/10/18

जिला दंडाधिकारी, अरवल

16/10/18

जिला दण्डाधिकारी, अरवल

अनुसूची 14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3